

द्वितीय सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, गोहद, जिला भिण्ड (म०प्र०)

(समक्ष- मोहम्मद अजहर)

क्लेम प्रकरण क्र. 31/14 पुराना क्रमांक 06/12

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 09/05/2012

1. मोहर सिंह पुत्र श्री रामकृष्ण सिंह आयु 38 साल व्यवसाय कास्तकारी
2. हरिओम सिंह आयु 13 वर्ष
3. सतपाल सिंह आयु 11 वर्ष
4. सचिन सिंह आयु 9 वर्ष पुत्रगण श्री मोहर सिंह क्रमांक 02 लगायत 05 नाबालिक सरपरस्ती पिता मोहर सिंह पुत्र राम कृष्णसिंह समस्त निवासीगण रामपाल का पुरा गोहद भिण्ड म०प्र०

.....आवेदकगण

बनाम

1. शहीदा बेगम पत्नी हसन खॉन आयु बालिक निवासी कम्पू ईदगाह छुट्टा की बजरिया लश्कर ग्वालियर म०प्र०  
वाहन स्वामी वाहन क्रमांक एम.पी.-07-आर-0722
2. मानसिंह गुर्जर पुत्र जरदान सिंह गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी बलराम नगर भिण्ड रोड गोले का मंदिर ग्वालियर म०प्र०  
वाहन चालक वाहन क्रमांक एम.पी.-07-आर-0722

.....अनावेदकगण

.....  
आवेदकगण द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता  
अनावेदक क्रमांक-1 अनु० पूर्व से एकपक्षीय।  
अनावेदक क्रमांक-2 द्वारा श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता।  
.....

//अधि-नि र्ण य//

(आज दिनांक 09.08.2017 को पारित)

1. यह क्लेम याचिका मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-166 के तहत दिनांक 06.04.11 को गोहद चौराहा रोड पर गैस गोदाम के सामने हुई

मोटर वाहन दुर्घटना में भूरी बाई को आई गंभीर चोटों से हुई उसकी मृत्यु के फलस्वरूप अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से 12,15,000/-रुपए की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. क्लेम याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06.04.11 को सुबह 08:30 बजे के लगभग भूरी बाई का अन्य सवारियों के साथ ऑटो क्रमांक एम.पी.-07-आर.-0722 में बैठकर जाते समय ऑटो चालक अनावेदक क्रमांक 02 मानसिंह गुर्जर ने ऑटो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर ऑटो पलट दिया, जिससे भूरी बाई की दौराने इलाज शाम को मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण 02 लगायत 05 मृतिका भूरी बाई के अवयस्क पुत्रगण हैं तथा आवेदक क्रमांक 01 मोहर सिंह उसका पति है। भूरी बाई की मृत्यु के कारण उससे मिलने वाली सेवाओं व सुख सुविधाओं से आवेदकगण वंचित हो गए हैं। आवेदकगण 02 लगायत 05 अपनी मां के लाड़ प्यार तथा पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गए हैं। दुर्घटना दिनांक को उक्त ऑटो की पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 01 थी। अनावेदक क्रमांक 02 ने अनावेदक क्रमांक 01 के नियोजन में रहते हुए उक्त ऑटो को चलाकर उक्त दुर्घटना कारित की है। उक्त आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि ब्याज सहित दिलाए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 को प्रकाशन के माध्यम से तामील भिजवाए जाने के बावजूद अनावेदक क्रमांक 01 प्रकरण की कार्यवाही में अनुपस्थित रही है। उसके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई का आदेश किया गया है। उसकी ओर से कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. अनावेदक क्रमांक 02 की ओर क्लेम याचिका का लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए, उसके अभिवचनों का सामान्य और विनिर्दिष्ट रूप से प्रत्युत्तर किया है और यह अभिवचन किया गया है कि मृतिका उक्त ऑटो में बैठकर नहीं जा रही थी और न ही उक्त वाहन से कोई दुर्घटना हुई है। अनावेदक के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अनावेदक क्रमांक 02 के द्वारा कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। उक्त आधारों पर क्लेम याचिका निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. मेरे पूर्व विद्वान पदाधिकारी के द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रलेखों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्मित किए गये, जिनके निष्कर्ष साक्ष्य की विवेचना के आधार पर उनके सामने लिखे जा रहे हैं:-

| वादप्रश्न   | निष्कर्ष  |
|---|---|
| 1. क्या अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के स्वामित्व की आटो क्रमांक-एम.पी.-07-आर.-722 को दिनांक 06.04.11 को सुबह करीब 08:30 बजे गोहद से गोहद चौराहा रोड पर गैस गोदाम के सामने उपेक्षा पूर्वक या उतावलेपन से चलाकर पलट दी थी, जिससे उसमें बैठी सवारी श्रीमती भूरी बाई को गंभीर चोटें आने के फलस्वरूप उपचार के दौरान उसकी मृत्यु कारित हुई ? | प्रमाणित।   |
| 2. क्या आवेदकगण मृत्तिका भूरी बाई के वारिसान की हैसियत से क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण से पाने के पात्र है, यदि हां तो किससे और कितनी-कितनी राशि ?  | आवेदकगण क्षतिपूर्ति की राशि 4,85,000/-रुपए ब्याज सहित अनावेदकगण से प्राप्त करने के अधिकारी हैं। |
| 3. अन्य अनुतोष ?  | क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई।  |

### —:सकारण निष्कर्ष:—

#### वाद प्रश्न क्रमांक-01 :-

6. मृत्तिका भूरी बाई के पति मोहरसिंह आ0सा0-01 ने यह बताया है कि उसकी पत्नी भूरी बाई एवं पुत्र शिशुपाल टैक्सी क्रमांक एम.पी.-07-आर-0722 में बैठकर गोहद आ रहे थे, तो उसके चालक मानसिंह ने तेजी व लापरवाही से उसे चलाकर शार्पेज स्कूल के पास गैस गोदाम के सामने पलट दिया, जिससे भूरी बाई को गंभीर चोटें आईं। जिसके इलाज हेतु ग्वालियर भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण के पैरा-07 में यह बताया है कि मानसिंह को पहले भी टैक्सी चलाते हुए देखा था। परंतु घटना के बारे में बताया है कि घटना के वक्त टैक्सी मानसिंह चला रहा था, यह उसने सुना था। इस प्रकार यह साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, जिसके सामने घटना नहीं हुई है। अपितु उसे तथ्यों की जानकारी है।
7. परंतु शिशुपाल आ0सा0-02 वह साक्षी है, जिसने अपनी मां भूरीबाई के साथ उक्त प्रश्नगत ऑटो में बैठकर आना बताया है और मानसिंह गुर्जर

के द्वारा ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देना और जिससे उसकी मां को चोट आकर मृत्यु होना बताया है।

8. अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पुरुषोत्तम सिंह ने भी स्वयं ऑटो में बैठकर आना बताया है और उपरोक्त दोनों साक्षियों की साक्ष्य की पुष्टि की है। आवेदकगण की ओर से संबंधित आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्र०पी०-01 लगायत 12 प्रस्तुत की गई हैं। प्र०पी०-02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से यह स्पष्ट है कि सुबह 08:30 बजे घटना हुई है और सुबह ही 09:20 बजे रिपोर्ट लिखा दी गई है। इस प्रकार त्वरित एफ.आई.आर. है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट पुरुषोत्तम द्वारा लिखाई गई है, जिसमें यह तथ्य है कि दिनांक 06.04.11 को सुबह 08:30 बजे ऑटो क्रमांक एम.पी.-07-आर-0722 में गिराज, बृजकिशोर, देवेन्द्र, भूरी बाई एवं पुरुषोत्तम बैठकर गोहद की तरफ आ रहे थे तथा ऑटो चालक ने ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया, जिससे सभी सवारियों को चोटें आईं और ऑटो ड्रायवार सवारियों को छोड़कर भाग गया। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि मानसिंह गुर्जर द्वारा उक्त ऑटो को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाया गया। जिससे उक्त सभी सवारियों को चोटें आईं।
9. मर्ग सूचना प्र०पी०-07 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि एक्सीडेंट होने के बाद भूरी बाई को जे.ए.एच. अस्पताल ग्वालियर लाया गया है, जहां उसे भर्ती कराया गया है और दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। जिसकी पुष्टि मर्ग क्रमांक 07/11 प्र०पी०-06, सफीना फॉर्म प्र०पी०-08, नक्शापंचायत नामा प्र०पी०-09, शव परीक्षण आवेदन व पी.एम. रिपोर्ट प्र०पी०-11 तथा अस्पताल से थाना कम्पू को भेजी गई सूचना प्र०पी०-12 से भली भांति हो रही है। उपरोक्त सभी दस्तावेजों से उपरोक्त तीनों साक्षियों की साक्ष्य की भली भांति पुष्टि हो रही है। उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं, जिससे कि आवेदकगण की साक्ष्य का कोई खण्डन होता हो या उन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण हो।
10. अनावेदक क्रमांक 02 मानसिंह अना०सा०-01 ने यह बताया है कि उसने कोई दुर्घटना कारित नहीं की है। उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की गई है। परंतु प्रतिपरीक्षण में पैरा-05 में यह स्वीकार किया है कि मृतिका भूरी बाई की दुर्घटना में हुई मृत्यु के अपराध के संबंध में किसी पुलिस अधिकारी



को कोई शिकायत नहीं की है। स्पष्ट है कि यदि अनावेदक क्रमांक 01 को झूठा फंसाया गया होता तो इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारी या न्यायालय के समक्ष कोई न कोई कार्यवाही वह अवश्य करता। अतः ऐसी स्थिति में जहां कि आपराधिक दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन को मानसिंह गुर्जर के द्वारा ही चलाया गया तथा पुलिस के द्वारा अनुसंधान के पश्चात अनावेदक क्रमांक 02 मानसिंह गुर्जर को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए उसके विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया है, तब ऐसी स्थिति में यह मान्य नहीं किया जा सकता कि ऑटो उसके द्वारा नहीं चलाया गया या उसके ऑटो से कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस प्रकार आवेदकगण की साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हो पाया है और उनकी साक्ष्य अखण्डनीय है। जिसकी पुष्टि आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों से भी हो रही है।

11. प्र०पी०-05 के अनुसार उक्त ऑटो अनावेदक क्रमांक 02 मानसिंह गुर्जर से जप्त की गई है। प्र०पी०-10 की मेकेनिकल जांच के अनुसार उक्त संबंधित ऑटो आगे व ऊपर से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होना पाया गया है। इससे भी एक्सीडेंट होने की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रकट और प्रमाणित होता है कि अनावेदक क्रमांक 02 ने उक्त प्रश्नगत ऑटो से अनावेदक क्रमांक 01 के नियोजन में रहते हुए उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर ऑटो को पलट दिया, जिससे भूरी बाई को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु कारित हुई।

#### **वादप्रश्न क्रमांक 02**

12. मोहर सिंह आ०सा०-01 ने यह बताया है कि उसकी पत्नी की दुर्घटना के समय आयु 34 वर्ष की थी। प्र०पी०-11 के शवपरीक्षण के लिए आवेदन एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्र०पी०-09 के नक्शा पंचायत नामा से स्पष्ट है कि उसमें मृतिका भूरी बाई की आयु 35 वर्ष लिखी हुई है। क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होना मान्य की जाती है।
13. मोहर सिंह आ०सा०-01 ने भूरी बाई के द्वारा भैंसपालन व किसानी मजदूरी कर 7,000/-रुपए प्रतिमाह की आय अर्जित करना बताया है। शिशुपाल आ०सा०-02 ने भैंस का कार्य कर दूध बेचने और मजदूरी करने से 500-600/-रुपए प्रतिदिन कमाना बताया है और घर गृहस्थी का भी कार्य करना बताया है। परंतु प्रतिपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि अपनी मां की

आय के संबंध में कोई डायरी या दस्तावेज पेश नहीं किए हैं और उसकी मां आयकरदाता नहीं थी। इस प्रकार यह प्रकट और प्रमाणित नहीं होता है कि भूरी बाई की आय 7,000/-रुपए प्रतिमाह थी।

14. परंतु यह निश्चित है कि भूरी बाई जीवित होती तो गृहिणी के रूप में कुछ न कुछ योगदान अवश्य देती, अपनी संपूर्ण सेवा का योगदान मोहर सिंह को पत्नी के रूप में तथा अनावेदक क्रमांक 02 लगायत 05 को मां के रूप में अवश्य देती और आवेदकगण भूरी बाई के गृहिणी होने के नाते उसकी सेवाओं लाड़ प्यार, पढ़ाई में मार्गदर्शन आदि से वंचित हुए हैं, उसके सानिध्य से वंचित हुए हैं। आवेदक क्रमांक 02 लगायत 05 भूरी बाई के पुत्रगण हैं, जो सभी अवयस्क हैं। स्पष्ट है कि वे कोई आय अर्जित नहीं करते हैं। मोहर सिंह की आयु 38 वर्ष की होकर वह मजदूरी का कार्य करता है। अतः ऐसी स्थिति में मोहर सिंह को और अन्य आवेदकगण को भूरी बाई की आय पर आश्रित तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि धन राशि के रूप में भूरी बाई की कोई आय होना प्रमाणित नहीं है। अतः स्पष्ट है कि आवेदकगण भूरी बाई की आय पर आश्रित नहीं थे। परंतु उक्त पांचों आवेदकगण मृतिका भूरी बाई के वैध प्रतिनिधि हैं। अतः इस उद्देश्य से तथा यह देखते हुए कि गृहिणी के रूप में भूरी बाई का अत्यधिक योगदान था, आवेदकगण को क्षतिपूर्ति की राशि दिलाई जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15. इस प्रकार आय के संबंध में आवेदकगण को भूरी बाई पर आश्रित होना मान्य नहीं किया जा सकता है परंतु वैध उत्तराधिकारी होने के नाते आवेदक क्रमांक 01 के पति होने के नाते तथा अनावेदक क्रमांक 02 लगायत 05 के पुत्रगण होने के नाते अवश्य ही भूरी बाई पर आश्रित होना माना जा सकता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत मंजूरी बेरा बनाम ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड एम.आई.आर 2007 एस सी 1474 एवं संतोष देवी व नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड 2012 एसीजे 1428 न्यायदृष्टांत अवलोकनीय हैं। जिसमें यह अभिमत दिया गया है कि वैध प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति की राशि पाने से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि वे मृतक की आय पर आश्रित नहीं थे। यह भी निश्चित है कि भूरी बाई यदि जीवित होती तो आवेदकगण की सेवा आदि करती।

16. उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों में भूरी बाई द्वारा दी जाने वाली सेवा की राशि के रूप में आंकलन करने पर किसी पुरुष की वास्तविक मासिक आय

के रूप में आंकलन नहीं किया जा सकता। अतः उसकी सेवा के योगदान को उसकी आय के आंकलन के रूप में गोहद के तहसील क्षेत्र को देखते हुए 2,500/-रुपए प्रतिमाह की दर से किया जाना न्यायोचित है। अतः इस दृष्टि से भूरी बाई की आय 2,500/-रुपए मासिक मान्य की जाती है। उसकी आय दुर्घटना के समय 35 वर्ष होने से न्यायदृष्टांत सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य एआईआर 2009 एससी 3104 के प्रकाश में 16 का गुणक मान्य किया जाता है।

17. इस प्रकार आश्रित सदस्यों की संख्या पांच होना देखते हुए 4-6 वाले समूह हेतु न्याय दृ० सरला वर्मा वाले प्रकरण के प्रकाश में यदि मृतिका भूरी बाई जीवित रहती तो उक्त आय का 1/4 भाग वह स्वयं पर व्यय करती अर्थात् आश्रितता की हानि के लिए उसकी आय में से 1/4 भाग का कटौत किया जाना चाहिए। 2,500/-रुपए मासिक आय में से 1/4 भाग कम करने पर 1,875/-रुपए मासिक अर्थात् 22,500/-रुपए वार्षिक आय की हानि होती है। जिसमें 16 का गुणक लगाने पर 3,60,000/-रुपए की राशि होती है। मृतिका की कोई निश्चित आय साबित नहीं हुई है। अतः भविष्य की आय की वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है। उक्त 3,60,000/-रुपए की आश्रितता की हानि की राशि आवेदकगण को दिलाई जाती है।
18. मृतिका भूरी बाई के पति मोहर सिंह को पत्नी सुख से बंचित होने तथा शेष जीवन में सहवास सुख से बंचित होते हुए उसे जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजवीर व अन्य 2013 एससीजे 1403 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की बैंच द्वारा साहचर्य सुख की हानि कम से कम एक लाख रुपये दिलाई जाना निर्धारित किया है। अतः उक्त न्यायदृष्टांत में दिये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में साहचर्य सुख की हानि के संबंध में आवेदक को एक लाख रुपये की राशि दिलाई जाती है।
19. उक्त न्यायदृष्टांत राजेश व अन्य बनाम राजवीर व अन्य वाले न्यायदृष्टांत में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम संस्कार के व्यय में कम से कम 25,000/-रु. की राशि दिलाये जाने का मार्गदर्शन दिया है। अतः उक्त राशि 25,000/-रु. प्रथक से प्रतिकर स्वरूप दिलायी जाती है।
20. इस प्रकार आवेदकगण अनावेदकगण से संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी

है:-

| क्रमांक              | मद                    | राशि        |
|----------------------|-----------------------|-------------|
| 1.                   | आश्रितता की हानि      | 3,60,000 /— |
| 2.                   | अंतिम संस्कार का व्यय | 25,000 /—   |
| 3.                   | साहचर्य सुख की हानि   | 1,00,000 /— |
| कुल क्षतिपूर्ति राशि |                       | 4,85,000 /— |

**वादप्रश्न क्रमांक 03 :-सहायता एवं वाद व्यय**

21. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदकगण अपनी क्लेम याचिका आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहें हैं। अतः उनकी क्लेम याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

1. अनावेदकगण आवेदकगण को संयुक्त रूप से अथवा प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति की राशि 4,85,000 /—(चार लाख पिच्चासी हजार ) रुपए अधिनिर्णय दिनांक 09.08.2017 से दो माह के अंदर अदा करें।

2. अनावेदकगण आवेदकगण को आवेदन प्रस्तुति दिनांक 09.05.12 से संपूर्ण राशि की अदायगी तक उपरोक्त राशि पर 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज भी अदा करें।

3. उक्त क्षतिपूर्ति की राशि 4,85,000 /—(चार लाख पिच्चासी हजार ) रुपए एवं उससे प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि में से आवेदक क्रमांक 02 लगायत 05 को प्रत्येक को 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार)—1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) रुपए की राशि प्रदान की जावे। उक्त राशि की एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उनकी वयस्कता की आयु प्राप्त होने की अवधि तक के लिए की जावे। उक्त राशि के संबंध में अधिकरण की अनुमति के बिना कोई ऋण या भार सृजित नहीं किया जाएगा। उक्त राशि में से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि त्रैमासिक रूप से आवेदकगण के भरण पोषण हेतु आवेदक क्रमांक 01 मोहर सिंह को बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।



4. शेष राशि में से 1,00,000 /— (एक लाख) रूपए की राशि की एफ.डी. आर. आवेदक क्रमांक 01 मोहर सिंह के नाम पांच वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में की जावे। शेष राशि उसे बैंक के माध्यम से नकद प्रदान की जावे।
5. अनावेदकगण अपना स्वयं का तथा आवेदकगण का वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क 2,000 /— (दो हजार) रूपए लगाया जावे।

उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनायी जावे।

अधिनिर्णय न्यायालय में दिनांकित एवं मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय सदस्य मो.दु.दावा.अधि.  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)